कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा जिला–राजसमन्द

क्रमांकः– मुजिशिअ/संस्थापन/विद्या सम्बलन/2026–27/ दिनांकः–यथा हस्ताक्षर

1. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा समस्त ब्लॉक जिला–राजसमन्द।
2. पीईईओ/संस्था प्रधान राउमावि./राबाउमावि./म.गां.रा.वि. जिला–राजसमन्द।

विषयः– ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गैस्ट फेकल्टी के रूप में लेने के लिये "विद्या संबल योजना" के संबंध में दिशा–निर्देश एवं प्रक्रिया ।

प्रसंगः– श्रीमान् मुख्य सचिव राजस्थान सरकार जयपुर के पत्र क्रमांक F17(10)Edu-1/Qedu./2022-000494-2429645 Rajkaj No 24116683 दिनांक 18.08.2026 एवं शासन सचिव, वित्त (बजट) राजस्थान सरकार जयपुर के परिपत्र के क्रमांकः–प.6(2)वित्त/साविलेनि/2021 दिनांक 30.03.2021

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ करने तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्या संबल योजना के अन्तर्गत दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं। परिपत्र में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप योजना का समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन इस शैक्षणिक सत्र के लिए सुनिश्चित किया जाना है। श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय राजसमन्द के आदेश क्रमांकः–जिकरा/संस्थापन/विद्या सम्बल/2026–27/राजकाज रैफरेन्स नम्बर 24230720 दिनांक 24.08.2026 के क्रम में विद्यालयों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिए कार्यवाही विवरण एवं निर्देश संलग्न कर भिजवाये जा रहे है। अतः निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

क्र.सं.	कार्यवाही विवरण	दिनांक	समय
1	सीबीईओ कार्यालय एवं विद्यालय (पीईईओ के एवं अधीनस्थ विद्यालयों) राउमावि/राबाउमावि./म.गां.रावि. के शाला दर्पण पोर्टल पर प्रदर्शित (व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एल–1/एल–2, अनुदेशक एवं प्रयोगशाला सहायक) रिक्त पदों की सूची प्रकाशित कर नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना।	27.08.2026	प्रातः 11:00 बजे तक
2	पात्र अभ्यर्थियों से पदवार आवेदन प्राप्त करना	03.09.2026	प्रातः 8:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक
3	प्राप्त आवेदनों की जांच कर पदवार प्राप्त आवेदनों की सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना।	03.09.2026	दोपहर 12:00 बजे से 01:00 बजे तक
4	विद्यालय स्तर पर प्राप्त आवेदन पत्रों की मेरिट के आधार पर प्रत्येक रिक्त पद के विरुद्व प्राथमिकता से 3–3 अभ्यर्थियों का चयन कर अस्थायी चयन सूची जारी करना एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना।	03.09.2026	दोपहर 01:00 बजे से 03:00 बजे तक
5	चयनित अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों का सत्यापन करना।	03.09.2026	अपरान्ह 03:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक
6	आपति निस्तारण एवं अन्तिम रूप से चयन सूची जारी कर नियमानुसार गैस्ट फेकल्टी के रूप में लगाने के आदेश जारी करना।	03.09.2026	अपरान्ह 04:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा राजसमन्द

प्रतिलिपिः–

1. श्रीमान् मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. श्रीमान् शासन सचिव महोदय, वित्त (बजट) राजस्थान सरकार जयपुर।
3. श्रीमान् निदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
4. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, राजसमन्द।
5. संयुक्त निदेशक महोदय, स्कूल शिक्षा उदयपुर संभाग उदयपुर।
6. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) मा.शि./प्रा.शि. राजसमन्द।
7. रक्षित पत्रावली।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा राजसमन्द

Digitally signed by NUTAN PRAKASH JOSHI
Designation: District Education Officer
Date: 2026-08-25 18:02:42 IST

v-1.0

RajKaj Ref No.: 24258683